अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

21 12.12.2023	न्यायालय उपायुक्त, राँची दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 35 आर० 15/2021–22 शालिनी झा पति सौरम झा निवासी चेसायर हॉम, एस० के० गैस ऐजेन्सी के निकट, बरियातु, राँची स्थाई निवासी 12/363, भट्टा रोड, बिशहरि के उत्तर, विकहानपुर, जगदीशपुर, भगलपुर (बिहार) .... प्रार्थी बनाम राज्य .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं० 19 आर० 15/2018–19 मे पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत्त विद्वान उप्र समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची ने प्रार्थी के द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अँचल अधिकारी बडागांई के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 1556 आर० 27/2017–18 मे दिनांक 17.02.2018 को पारित आदेश को बहाल रखा, जिसके अन्तर्गत विद्वान अँचल अधिकारी ने प्रार्थी के द्वारा मौजा गाडी थाना सं० 194, जिला राँची के खाता सं० 37, प्लॉट सं० 27 रकबा 8.35 डी० भूमि के नामान्तरण हेतु दायर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था। विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से इस पुनरीक्षण वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी को विगत कई तिथियों से गैर हाजिर है। इस वाद मे उन्हे प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजुद उनकी ओर से अंतिम सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस पुनरीक्षण वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	इस आदेश की प्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। Rahul उपायुक्त रॉंची लेखापित एवं संशोधित Rahul उपायुक्त रॉंची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:05:54 -08:00
Location: 192.168.1.4